



LAUNCH OF HOME LIBRARY SCHEME OF PUBLICATIONS DIVISION

A call for book lovers to become life time members under the Scheme

Main features of the scheme :

1. Life membership fee is Rs.100 (non-refundable).
2. Three-year subscribers of any of the Division's journals will get 50% concession and will pay only Rs.50 as membership fee.
3. 20% discount on purchase of books worth Rs.100 or more (after discount).
4. On purchase of books worth Rs.500 or more (after discount) in a year, members will get in-house books/journals worth Rs.25 free.
5. A catalogue of Publications Division's books will be given free of cost to all members.
6. The scheme will be operational within geographical boundaries of India only on a pilot basis.
7. Publications Division reserves the right to terminate the scheme any time by giving one month's notice through advertisement in newspapers.



For membership form and any other query please contact:
Business Manager
 Publications Division
 Soochna Bhawan, CGO Complex
 Lodhi Road, New Delhi-110003

Tel:011-24365610, 011-24367260
 FAX: 011-24365609
 e-mail: dpd@sb.nic.in, dpd@mail.nic.in
 website: www.publicationsdivision.nic.in



प्रकाशन विभाग की ओर से घरेलू पुस्तक योजना की शुरुआत

पुस्तक प्रेमियों के लिए सुनहरा अवसर

विशेष आकर्षण :

1. केवल 100 रुपये देकर आजीवन सदस्यता प्राप्त करें।
2. प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित किसी भी पत्रिका का तीन वर्ष के लिए ग्राहक बनने पर वार्षिक सदस्यता केवल 50 रुपये में प्राप्त की जा सकती है।
3. सामान्य छूट के बाद सौ रुपये या उससे अधिक की पुस्तकें खरीदने पर 20 प्रतिशत की विशेष छूट दी जाएगी।
4. सामान्य छूट के बाद पांच सौ रुपये या उससे अधिक मूल्य की पुस्तकें खरीदने पर सदस्य को 25 रुपये मूल्य की पुस्तकें/पत्रिकाएं उपहार में दी जाएंगी।
5. सभी सदस्यों को प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित पुस्तकों की सूची निःशुल्क दी जाएगी।
6. यह योजना देश-भर में केवल प्रायोगिक तौर पर शुरू की जा रही है।
7. प्रकाशन विभाग समाचार पत्रों में विज्ञापन के जरिए एक महीने का नोटिस देकर इस योजना को समाप्त कर सकता है।



सदस्यता फार्म तथा अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें—

व्यापार व्यवस्थापक

प्रकाशन विभाग

सूचना भवन, सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स,

लोदी रोड, नई दिल्ली - 110 003

फोन : 24366610, 24367260

फैक्स : 011-2436 5609

ई-मेल : dpd@sb.nic.in, dpd@mail.nic.in

वेबसाइट : www.publicationsdivision.nic.in



PUBLICATIONS DIVISION

Ministry of Information & Broadcasting
Govt. of India

Book Gallery, Soochna Bhawan,
C.G.O. Complex, Lodhi Road, New Delhi-110003
Phone : 24367260, 24365610
Tele Fax : 24365609
Website : publicationsdivision.nic.in
E-mail : dpd@sb.nic.in

THE HOME LIBRARY SCHEME

Membership Form

(Please send this form along with membership fee of Rs. 100/- preferably by Bank Draft in favour of the AGD(I/C) Publications Division Min. of I. & B. payable at New Delhi or Pay in cash)

Under this scheme, subscribers of any journal published by the Publications Division for a period of 3 Years will get concession in Membership Fee and will be charged Rs. 50/- Only.

1. Name (in Block Letters)
2. Full Postal Address
- Pin Code Contact No.
- E-mail:
3. Occupation
4. Age
5. The Membership Fee is being sent by Bank Draft/Cash.
Bank Draft No. & Date
- Issued by
- Drawn on

I have read the rules and regulations for membership of the Publications Division's " Home Library Scheme" and these are acceptable to me.

Place

Date

Signature

The Salient Features of Home Library Scheme

Concession to Members of the Home Library Scheme : The Division will provide a discount of 20% on the books purchased by the members of the scheme, The minimum order under this scheme will be Rs. 100/- after discount.

The postage on dispatch on the publications will be borne by the Publications Division i.e. Free of cost.

The members will receive a Catalogue of Books free of cost.

The members who will purchase the books exceeding Rs. 500/- after discount during one financial year will get books/journals published by the Division worth Rs. 25/- free of cost.

The scheme will be operational in Geographical boundaries of India only on a pilot basis.

Publications Division reserves the right to terminate the scheme at any given time by giving one month's notice through Advertisement in Newspaper.



सत्यमेव जयते

प्रकाशन विभाग

सूचना और प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार

पुस्तक दीर्घा, सूचना भवन
सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

दूरभाष : 24367260, 24365610

टेलीफैक्स 24365609

वेबसाइट - publicationsdivision.nic.in

ई मेल - dpd@sb.nic.in



घरेलू पुस्तकालय योजना

सदस्यता प्रपत्र

(कृपया इस फार्म के साथ सदस्यता शुल्क रूप में 100/- रुपये का बैंक ड्राफ्ट जो अपर महानिदेशक (प्रभारी) प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण नई दिल्ली के नाम देय हो) भेजें।

प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित किसी भी पत्रिका के त्रिवार्षिक ग्राहक को इस योजना के तहत रियायत दी जाएगी तथा उनसे मात्र 50/- रुपये लिए जाएंगे।

1. नाम
2. पूरा पता
- पिन कोड दूरभाष नं.
- ईमेल
3. व्यवसाय
4. आयु
5. सदस्यता शुल्क से संबंधित बैंक ड्राफ्ट / नकद धनराशि का ब्यौरा—
बैंक ड्राफ्ट सं. दिनांक
- जारी करने वाले बैंक का नाम
- किस बैंक में आहरित किया जाएगा

मैंने प्रकाशन विभाग की "घरेलू पुस्तकालय योजना" की सदस्यता से संबंधित नियमों और विनियमों को पढ़ लिया है और मैं इन्हें स्वीकार करता / करती हूँ।

स्थान

दिनांक

हस्ताक्षर

घरेलू पुस्तकालय योजना की मुख्य विशेषताएं

घरेलू पुस्तकालय योजना के सदस्यता शुल्क में रियायत : प्रकाशन विभाग इस योजना के सदस्यों को खरीदी जाने वाली पुस्तकों पर **20** प्रतिशत की छूट प्रदान करेगा, बशर्ते इस योजना के तहत कम से कम **100/-** रुपये (छूट के बाद) की पुस्तकें खरीदी जाएं।

डाक द्वारा सामग्री भेजने पर होने वाला व्यय प्रकाशन विभाग वहन करेगा अर्थात् पुस्तकों की निःशुल्क आपूर्ति की जाएगी।

सदस्यों को प्रकाशन विभाग की पुस्तक सूची (कैटलॉग) निःशुल्क भेजी जाएगी ताकि सदस्य अपनी रुचि की पुस्तकों का चयन कर सकें।

जो सदस्य एक वित्तीय वर्ष में **500/-** रुपये (छूट के पश्चात) से अधिक की पुस्तकें खरीदेंगे, उन्हें प्रकाशन विभाग द्वारा **25** रुपये की पुस्तकें/पत्रिकाएं निःशुल्क प्रदान की जाएंगी।

इस योजना का प्रचालन केवल भारत में प्रायोगिक आधार पर किया जा रहा है।

समाचार पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से एक माह के नोटिस पर किसी भी समय इस योजना को समाप्त करने का अधिकार प्रकाशन विभाग के पास होगा।